रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012023-241640
CG-DL-E-03012023-241640

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 2023/पौष 13, 1944
No. 05]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2023/ PAUSHA 13, 1944

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 06(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "सामान्य पोर्टल" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित और अधिसूचित पोर्टल या मोबाइल फ़ोन उपयोजन अभिप्रेत है;

(ग) "अनुज्ञप्तिधारी" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "सूचना" से सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की गई खुदाई या उत्खनन संबंधी पूर्व सूचना अभिप्रेत है;

(ड.) “तार अवसंरचना” में तार या तार लाइन और पोस्ट शामिल हैं;

(2) उन शब्दों और पदों के जो प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. **किसी संपत्ति की खुदाई या उत्खनन के विधिक अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया –** (1) कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति के अधिकार के विधिक अधिकार से खुदाई या उत्खनन की इच्छा इस प्रकार से रखता हो जिससे कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से स्थापित की गई तार अवसंरचना या टेलीग्राफिक संचार को रुकावट डालने या बाधित करने की संभावना हो, तो वह व्यक्ति ऐसे अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व इस प्रकार की खुदाई या उत्खनन की सूचना, सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करके अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सूचना में विधिक अधिकार का उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम और पता, एजेंसी का ब्यौरा, पता, खुदाई शुरू करने की तारीख और समय, खुदाई का विवरण और स्थान तथा इस प्रकार की खुदाई या उत्खनन करने के कारण शामिल किए जाएंगे।

(3) अनुज्ञप्तिधारी उप-नियम (1) के अधीन सूचना प्रस्तुत करने पर संपत्ति से संबंद्ध किसी भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वामित्व वाली या नियंत्रित या तार अवसंरचना का ब्यौरा सामान्य पोर्टल के माध्यम से यथा शीघ्र उपलब्ध कराएगा जिसका प्रयोग वह तार अवसंरचना को क्षति पहुँचाए बिना समन्वय के लिए पूर्वावधानी उपायों के साथ-साथ अधिकार के विधिक प्रयोग के लिए करना चाहता है।

(4) खुदाई या उत्खनन के विधिक अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, उप-नियम (3) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए पूर्वावधानी उपायों पर उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

(5) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 19(क) के अनुसार विहित समय के भीतर ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराता है तो खुदाई या उत्खनन के विधिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति इसके पश्चात संपत्ति की खुदाई या उत्खनन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. नियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए नुकसानी प्रभार – (1) कोई व्यक्ति, जिसने किसी संपत्ति की खुदाई या उत्खनन के विधिक अधिकार का प्रयोग इस ढंग से किया हो, जिससे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विधिवत रखे गए तार अवसंरचना के बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है, वह तार प्राधिकारी को नुकसानी प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नुकसानी प्रभार की गणना ऐसे खर्चों के आधार पर की जाएगी जैसा नुकसानी के प्रत्यावर्तन में उपगत किया जाए।

[फा. सं. 2-16/2022- नीति]

आनंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2023

G.S.R. 06(E).— In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Telegraph (Infrastructure Safety) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. -(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(b) "common portal" means a portal or mobile phone application developed and notified by the Central Government for the purposes of these rules;

(c) "licensee" means any person holding a license under sub-section (1) of section 4 of the act.

(d) "notice" means prior information of digging or excavation submitted through common portal.

(e) "telegraph infrastructure" includes a telegraph or a telegraph line and post;

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Procedure for exercising of legal right to dig or excavate any property. — (1) Any person desiring to dig or excavate in the legal exercise of a right with any property in such a manner as is likely to cause damage to a telegraph infrastructure or to interrupt or interfere with telegraphic communication which has been duly placed in accordance with the provisions of the Act, shall give notice to licensee through common portal, by submitting the information of such digging or excavation, prior to the commencement of such exercise.

(2) The notice under sub-rule (1) shall include the name and address of the person exercising the legal right, agency details, contact details, date and time of start of the exercise, description and location of the exercise, and the reasons for such digging or excavation.

(3) The licensee shall, on submission of notice by the person under sub-rule (1), as expeditiously as possible provide through the common portal, the details of telegraph infrastructure owned or control or managed by such licensee, falling under or over or along the property with which the person intends to deal in legal exercise of the right, along with precautionary measures for coordination in avoiding damages to the telegraph infrastructure.

(4) The person exercising legal right to dig or excavate shall take appropriate action on precautionary measures provided by the licensee as per sub-rule (3).

(5) In case no licensee provides details within the prescribed time as per section 19(A) of the Act, the person having legal right to dig or excavate shall be free to dig or excavate the property thereafter.

4. Damage charges for breach of provisions of the rule. — (1) Any person, who in exercise of legal right has dug or has excavated any property in such a manner causing damage to a telegraph infrastructure duly placed in accordance with the provisions of the Act shall be liable to pay the damage charges to the telegraph authority:

(2) The damage charges under sub-rule (1) shall be computed based on such expenses as may be incurred in restoring damages.

[F. No. 2-16/2022-Policy]

ANAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.03 22:35:28 +05'30'